न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 84 / 2017 **दायरा दिनांक : 07.07.2017**

उनवान

1— शंकरलाल आत्मज रामा, जाति बलाई, निवासी बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— मानालाल आत्मज रामा, जाति बलाई, निवासी बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कालू आत्मज भुवाना, जाति बलाई, निवासी पदमाखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— नारायण दत्तक पुत्र भैरू, जाति बलाई, निवासी बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— लालूलाल आत्मज मोती, जाति बलाई, निवासी बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— नारायण आत्मज मोती, जाति बलाई, निवासी बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5— बालू आत्मज मोती, जाति बलाई, निवासी बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6— गंगाबाई आत्मज मोती, जाति बलाई, निवासी बेड़ला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7— चंदर पुत्र कालू, जाति मेघवाल, निवासी बर्डिया वीरजी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8— चन्दरलाल पुत्र बालक बाई व नाथूलाल, जाति बलाई, निवासी मुण्डला, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)

9— मदनलाल पुत्र बालक बाई व नाथूलाल, जाति बलाई, निवासी मुण्डला, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल माहेश्वरी एवं श्री तंवर सिंह अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.07.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या — 5/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडे।ट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम बेड़ला की आराजी खसरा नम्बर 1243 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1244 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1245 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1235 रकबा 7 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा का 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कराने बाबत दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी अपीलांट की ओर जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा अभिभाषक ने बिना सूचना दिये ही नोट प्रेस कर लिया जिस पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा एक तरफा साक्ष्य लेकर दिनांक 12.12.2015 को

बिना अपीलांट को सुने, कानून के खिलाफ एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है । अपीलांट के पिता रामा एवं रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 6 के पिता मोती तथा रेस्पोडेंट नम्बर 2 के ग्राम बेड़ला में शामलाती खाते की आराजीयात खाता संख्या 278 कुल किता 26 कुल रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा थी जिसका रामा, मोती एवं नारायण ने आपसी सहमति से दिनांक 19.02.1994 को रजिस्टर्ड बंटवारा कर लिया तथा तीनों के अलग अलग खाते दर्ज हो गयी तथी से अपीलांट के पिता अपने खाते की आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट काश्त करते चले आ रहे हैं । रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 1243 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1244 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1245 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1235 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा का 1/3 हिस्सा भैरू वल्द कालू से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीदना बताया । रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपने दावे में आराजी खरीदने के बाद सन् 1985 में नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज नहीं कराने का कारण भी नहीं बताया है । विवादित आराजी का बेचान भैरू वल्द कालू ने किया तो यह आराजी भैरू के हिस्से में से कम होनी चाहिए । पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.08.2016 को मार्ग दर्शन चाहने बाबत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.08.2016 को संशोधित डिक्री जारी करने के आदेश फरमाये किन्तु कोई संशोधित डिक्री जारी नहीं हुई । प्रतिवादिया बालक बाई की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकामान को रेस्पोडेंट नम्बर 8 व 9 बनाया गया तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा विवादित आराजी का बेचान रेस्पोडेंट नम्बर 7 को करने के कारण रेस्पोडेंट बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से निरस्त होने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.06.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट के अपील में प्रस्तुत तथ्य से सहमत हैं कि संयुक्त खाते की भूमि से रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदारी देना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वादग्रस्त आराजी का बेचान भैरू द्वारा किया गया था । अतः अपील को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा